राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः स्थापना/कोरोना/2020/15660 दिनांक :– 19 अप्रेल, 2020

:: आदेश ::

भीलवाडा मे नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में दिनांक 19.03.2020 से निषेधाज्ञा एवं भीलवाड़ा शहर के साथ–साथ जिले के कई क्षेत्रों में (जहां–जहां कोरोना संक्रमित व्यक्ति चिन्हित हुये) में सख्त निषेधाज्ञा (Curfew) लागु कर उस क्षेत्र को Zero Mobility Area **(लॉकिंग एरिया–जनसाधारण का सख्ती से आगमन–निर्गमन निषेध क्षेत्र)** घोषित किया गया है। साथ ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में सम्पूर्ण देश एवं राज्य में लॉक डाऊन घोषित किया हुआ हैं।

इस संबंध में अति0 मुख्य सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक प. 33 (2)गृह–9/2019 दिनांक 15.04.2020 से कुछ विभागों के संचालन में छूट प्रदान की गई है।

इस क्रम में लेख है कि **भीलवाड़ा शहर** की वर्तमान परिस्थितियों एवं जिले में एक समय अन्तराल उपरान्त नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से पाये जा रहे संक्रमित व्यक्तियों के मध्यनजर स्थानीय स्तर पर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957, National Disaster Manegment Act 2005** एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत **मैं राजेन्द्र भट्ट, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** यह आदेश देता हूं कि **भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर** नागरिको की मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये पूर्व में जिन विभागों/कार्यालयों के संचालन हेतु वर्तमान में अनुमत किया गया हैं अथवा जो विभाग/कार्यालय वर्तमान में जिस प्रकार संचालित हैं, वहीं विभाग/कार्यालय दिनांक 19 अप्रेल 2020 उपरान्त भी यथावत संचालित रहेगें, इसके अतिरिक्त अन्य विभागो के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर,
भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
03. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
06. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
07. प्रभारी अधिकारी, वॉर रूम (अति0 जिला मजिस्ट्रेट–शहर, भीलवाड़ा)
08. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण, भीलवाड़ा
09. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट/तहसीलदार जिला–भीलवाड़ा
10. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा

जिला कलक्टर,
भीलवाडा

:: Nitin :: Covid-19/ CRPC-144